स्मृति ग्रन्थों में वर्णित स्त्री विमर्श - दाम्पत्य जीवन के परिप्रक्ष्य में

डॉ० वन्दना कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर

संस्कृत

राजकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय

हमीरपुर

सारांश

भारतीय समाज में आदिकाल से ही स्त्रियों का एक विशेष और सम्मानपूर्ण स्थान था। स्त्रियों के तीन रूप हैं- कन्या रूप, गृहणी रूप और बृद्धा रूप। स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा के लिए भी स्मृतियों में उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है जिससे समाज ने स्वार्थसिद्ध हेतु अपने ढंग से व्याख्यायित करके तदनुसार आचरण करना ही श्रेयस्कर समझा। स्त्रियों के कोमल स्वभाव को ध्यान में रखकर ही मनु ने यह व्यवस्था की थी कि स्त्री चाहे बाला हो या युवती या वृद्धा, उसे स्वतंत्र होकर घर में भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए।' नारी की कोमलता को ही ध्यान में रखकर ही यह व्यवस्था की गयी कि उसे बाल्यावस्था में अपने पिता के अनुशासन में, युवावस्था में अपने पति के अनुशासन में और अपनी वृद्धावस्था में पुत्र की इच्छानुसार ही आचरण करना चाहिए। उसे सदैव प्रसन्नचित रहना

चाहिए, गृहकार्य में दक्ष होना चाहिए, घर का रखरखाव भली-भाँति करना चाहिए। [2] स्त्रियों के स्वभाव की कोमलता को ध्यान में रखकर ही स्मृतिकारों ने यह व्यवस्था की है कि जो भाई-बन्धु अज्ञानतावश स्त्रीधन को, स्त्रियों की सवारी को या उनके वस्त्रों का अपहरण करते हैं तो वे पाप के भागी होते हैं और अन्त में दर्गति को प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों की स्वच्छन्दता पर अंकुश लगाने के लिए ही यह निर्देश दिया कि स्त्रियों को सदा अपने पति के वचनानुसार ही आचरण करना चाहिए|[4]

वैदिक काल में भी पति-पत्नी के सम्बन्धों पर पर्याप्त बल दिया गया है। अथर्ववेद में पति-पत्नी को सम्बोधित करते हुए कहता है कि, "मैं फैले हुए ईख से तुझे घेरता हूँ जिससे वायुमण्डल में मधुरता आ सके और परस्पर द्वेष दूर हो सके और पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए कामना करते रहेंगे। स्त्री के सुख के लिए यह भी कामना की गयी है कि वह पुत्र को जन्म देने वाली और घर की रानी होकर रहे साथ ही वह अपने पति को प्राप्त करके सौभाग्यवती होकर सुशोभित होती रहे।[8]

धर्मशास्त्रों में पति-पत्नी के परस्पर सम्बन्ध पर बहत बल दिया गया है। साथ ही दोनों के परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया है। बृहस्पति स्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने घर के आय व्यय और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी माना गया है। इतना ही नहीं, स्त्रियों को अपने घर की हर प्रकार स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को वस्त्राभरण भोजन इत्यादि देकर उनके सुख और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मनु के अनुसार स्त्री को परिवार और समाज में

सम्मानजनक स्थान दिया गया है। इसीलिए उन्हें धन के आय-व्यय, घर की सफाई, धार्मिक कृत्यों, भोजन आदि तथा उससे सम्बद्ध सामग्री के लिए उत्तरदायी माना गया है।[9] याज्ञवल्क्य के अनुसार स्त्रियों को वस्त्राभूषणों तथा भोजन के द्वारा सम्मानित करना उसके पति, भाई, पिता, पितृकुल के सम्बन्धियों, सास-ससुर, देवर, जेठ तथा अन्य सम्बन्धियों के द्वारा भी समादृत करने की व्यवस्था की गयी थी। [10] मनुस्मृति के अनुसार यदि कोई द्विज एकाधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो उनकी ज्येष्ठता उनकी जाति के अनुसार मानी जाती है। उन सभी स्त्रियों में अपनी ही जाति की पत्नी को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पति की व्यक्तिगत सेवा कर सके और उसके दैनिक पवित्र कृत्यों में सहायता दे सके।" जब किसी व्यक्ति को स्वजातीय पत्नी हो तो उसे किसी अन्य किसी जाति की पत्नी से धार्मिक कृत्य कराने का अधिकार नहीं रहता

है। यदि किसी पुरुष के अपने ही जाति की अनेक स्त्रियाँ हों तो उनमें धार्मिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार सर्वजेष्ठ पत्नी को ही प्राप्त है।[12] विष्णुस्मृति के अनुसार यदि किसी पुरुष के अपनी ही जाति की एकाधिक पत्नियाँ हो तो उसके द्वारा धार्मिक संस्कारों के सम्पादन का उत्तरदायित्व ज्येष्ठता स्त्री को ही देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की द्वारा एकाधिक पत्नियाँ हैं और वे विभिन्न जातियों की हैं तो उसे कोई भी धार्मिक कृत्य अपनी ही सजातीय पत्नी के कराना चाहिए चाहे वह अन्ना पनियों की अपेक्षा कनिष्ठ ही क्यों न हो। यदि किसी ऐसे व्यक्ति की स्वजातीय पत्नी न हो तो उसे धार्मिक कृत्यों में अपने वर्ण के ठीक नीचे वाले वर्ण की सी से करवाना चाहिए, किन्तु द्विजाति को किसी भी स्थिति में शूटा पत्नी की सहायता से ऐसे कृत्य नहीं करवाने

चाहिए| [13] कात्यायन के अनुसार यदि किसी पुरुष की अनेक स्त्रियाँ हों तो ऐसे प्रप को अग्न्याधान आदि धार्मिक कृत्य स्वजातीय स्त्री के द्वारा ही कराना चाहिए और यदि स्वजातीय पत्नियों की संख्या एकाधिक हो तो उनमें से ज्येष्ठा पत्नी को ही यह अधिकार प्राप्त होता है। किन्तु इसके लिए प्रतिबद्ध यह है कि वह किसी भी प्रकार से निन्दित कृत्य करने वाली न हो। ऐसी पत्नी ही धार्मिक कृत्यों को कर सकती है जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली, आज्ञाकारिणी सर्वप्रिय सर्वाधिक निकट, शुद्ध और मृदुभाषिणी हो, साथ ही यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति ऐसे कार्यों को प्रत्येक जाति की स्त्री से क्रमानुसार कराये यह भी सम्भव है कि सभी स्त्रियाँ अपने आप स्वेच्छा से अपने कार्यों का विभाजन करके उनका सम्पादन करें|[14]

जिस परिवार में पति-पत्नी में सौमनस्य होता हैं और दोनों एक-दूसरे से सन्तुष्ट रहते हैं केवल वही परिवार दीर्घकालिक समृद्धि का भोग कर सकता|ऐसे स्त्री-पुरुष को सदैव एक-दूसरे के प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए। विवाद रत्नाकर के अनुसार जहाँ पति पत्नी के सम्बन्धों में सौमनस्य रहता है वहाँ धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है।[15] मनु ने यह व्यवस्था भी दी है कि यदि पत्नी अपने पति के प्रति और देश रखती है तो पति को इस स्थिति का सामना एक वर्ष करना चाहिए तदनन्तर उसे पानी की सम्पति लेकर उसका परित्याग कर देना चाहिए।[16] मेधातिथि में इस सम्बना में यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि पत्नी के साथ न रहने में अभियान केवल उसे झिड़क देना मात्र है। इसी प्रकार उसकी सम्पति प लेने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि पत्नी अपनी स्थिति समझ ले कि असहाय हो जाय। नारद के अनुसार यदि कोई पति ऐसा स्त्री का

विश्वास कर देता है जो उसके प्रति सत्यनिष्ठा से रहती है कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करती है, सब प्रकार से दक्ष है, सच्चारित है और अपनी सन्तान के प्रति अका व्यवहार करती है तो ऐसे पति को राजा के द्वारा कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।[17] विष्णुस्मृति के अनुसार यदि कोई पति अपनी निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता है थो उसे वही दंड प्राप्त होना चाहिए जो दंड किसी चोर को दिया जाता है।[18] नारद के अनुसार यदि किसी पत्नी में बुरी आदते है या वह कठोर वचन बोलने वाली है अथवा पति से पूर्व ही भोजन लेती है तो पति उसे घर से निकाल सकता है। यदि कोई पत्नी बन्ध्या है या केवल पुत्रियों को ही जन्म देने है अथवा अपने पति से द्वेष करने वाली है तो पति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके साथ सदभावना पूर्ण व्यवहार करे| [20]

बौधायन के अनुसार यदि कोई पत्नी अपने पति की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखती है, बन्ध दुश्चरित्र है या अपने पति के प्रति द्वेष भाव रखती है या कठोर वचन बोलने वाली है तो उसके पति को परित्याग करने का अधिकार प्राप्त था। किन्तु इसमें प्रतिबन्ध यह था कि यदि पत्नी बथ्या है तो परित्याग दस वर्ष बाद ही किया जा सकता है। केवल पुत्रियों को जन्म देने वाली स्त्री का परित्याग बार बाद और यदि वह कठोर वचन बोलने वाली है तो उसका परित्याग तुरन्त किया जा सकता है।[21] हरीत के अनुसार ऐसी पत्नी का भी परित्याग कर देना चाहिए जो गर्भघातिनी है, दुश्चरित्र है या धन और अन्न का अपव्यय करने वाली है। [22] मनु के अनुसार यदि पत्नी दुश्चरित्र है तो उसका परित्याग तुरन्त कर देना चाहिए क्योंकि स्त्री को न तो शारीरिक दण्ड दिया जा सकता है, न ही बन्दी बनाया

जा सकता है और न ही उसके रूप को विकृत किया जा सकता है।[23]

याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि कोई स्त्री व्यभिचारिणी है तो पति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसे घर में के ही बन्दी बनाकर रखे, उसके सभी अधिकारों को छीन ले और उसे भूमि पर ही शयन करने की अनुमति दे | [24] नारद के अनुसार यदि स्त्री दुश्चरित्र है तो उसके सिर को मुंडवा कर पृथ्वी पर सोने देना चाहिए, भोजन के लिए मोटा अन्न और रहने के लिए ऐसा स्थान देना चाहिए जो उसके अनुकूल न हो, साथ ही ऐसी पत्नी से घर का झाड़-बुहार भी करवाना चाहिए | [25] मनु ने यहाँ तक व्यवस्था की है कि चाहे बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो, स्त्री को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करना चाहिए। [26] बृहस्पति के अनुसार किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति के घर में रहने का अधिकार तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके साथ उसका पति या बच्चे न हो।[27]

मनु के अनुसार स्त्री को सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए। [28] उसे गृह कार्यों में दक्ष और घर के वस्त्राभूषणों को के साफ-सुथरा रखना चाहिए तथा उसे अपव्यय से भी दूर रहना चाहिए। विष्णुस्मृति में स्त्री धर्म को और भी विस्तार से बताया गया है। उसके अनुसार स्त्री को अपने पति के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहिए. अपने सास ससुर बड़े बुजुर्गो देवी-देवताओं और अतिथियों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। उसे घर-गृहस्थी की सामग्री को सम्भाल कर रखना चाहिए। अपने में धन बचाने की आदत डालनी चाहिए,घर के बर्तन-भाड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए. जादू-टोने से दूर रहना चाहिए. अच्छे रीति-रिवाजों का पालन करना चाहिए, अपने को वस्त्राभूषणों से उसी स्थिति में सुसज्जित करना चाहिए जब उसका पति प्रसन्नचित हो। स्त्री

को कभी भी अन्जान व्यक्ति के घर में नहीं रहना चाहिए. सदैव खिड़की-दरवाजों से झाँकना नहीं चाहिए और स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं करना चाहिए | [29] मनु के अनुसार स्त्रियों में विकार उत्पन्न करने के छ कारण हैं-सुरापान,दुष्टसंगति, अपने पति से अलग रहना, स्वच्छन्द घूमना सदा सोते रहना और दूसरों को घरों में रहना। अर्थशास्त्र के अनुसार पिता, पति या पुत्रों द्वारा मना करने पर भी यदि कोई स्त्री मदिरापान करती है जो उसे तीन पणों का दण्ड दिया जा सकता है। दिन के समय खेल या नाटक इत्यादि देखने जाने पर दण्ड के रूप में छ पण देना होता था। अकेले ही खेल-तमाशों में जाने पर दण्ड के रूप में बारह पण देने होते थे। किन्तु यदि यही अपराध रात्रि के समय किये जाते थे तो दण्ड की मात्रा दोगुनी हो जाती थी। यदि कोई स्त्री उस समय घर के बाहर चली जाती है जब उसका पति सोया हआ हो, मदिरापान किर. हो या वह पति के बाहर से घर वापस आने पर उसके लिए द्वार नहीं खोलती है तो उस पर बारह पणों का दण्ड लगाया जाता है।

मनु के अनुसार पति के विदेश यात्रा के लिए निकल जाने पर यदि पति अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके जाता है तो उसे मर्यादित रूप से रहना चाहिए। किन्तु यदि पति अपनी पत्नी के जीवन-यापन के लिए कोई व्यवस्था किये बिना ही कही चला गया हो तो उस स्थिति में स्त्री आपत्तिजनक कार्यों को करते हुए भी रह सकती है।[31] पति की अनुपस्थिति में पत्नी को निम्नर्विखित कार्यों से किस रहना चाहिए - क्रीड़ा, शरीर के संस्कार, सामाजिक कार्यों और उत्सवों में उपस्थित होना मांस भक्षण करना और मदिरापान।

बृहस्पति के अनुसार पति के दिवंगत हो जाने पर पत्नी को वृतोपवास करना चाहिए. ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए. आत्म संयम और दानशील भी होना चाहिए। [32] पति के दिवंगत हो जाने पर स्त्री को और भी कठोर अनुशासन में रहना चाहिए। किन्तु यदि उसकी इच्छा हो तो वह अपने शरीर को शुद्ध पुष्पों, और फलों से सुसज्जित कर सकती थी। किन्तु पति की मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य पुरुष का नाम भी नहीं ले सकती है। उसे धैर्यपूर्वक आत्मसंयम से युक्त और पवित्र होकर रहना चाहिए। उसे अपने मन-वचन और कर्म पर संयम रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रहना चाहिए |[33]

देवलस्मृति के अनुसार पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात, सन्यास ले लेने के पश्चात्, नपुंसक या जाति बहिष्कृत हो जाने पर, किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो जाने पर उसका पत्नी द्वारा बहिष्कार किया जा सकता है। [34] पति की मृत्यु के पश्चात् या जीवित रहने पर यदि कोई स्त्री सन्तानोत्पत्ति के लिए परपुरुष का वरण कर सकती है किन्तु इस स्थिति में वह स्वेच्छया ही कोई निर्णय नहीं ले सकती है। [35] पति के विदेश चले जाने पर ब्राहाण स्त्री को अपने पति की आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए किन्तु यदि वह निःसन्तान हो तो उसे चार वर्ष तक ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। तदनन्तर वह किसी अन्य पुरुष का अपने पति के रूप में वरण कर सकती है। यदि स्त्री क्षत्रिय है तो उसे छः वर्ष तक और यदि निःसन्तान हो तो तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वैश्य स्त्री को ऐसी स्थिति में चार वर्ष तक और पुत्रहीन होने पर दो वर्ष प्रतीक्षा करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में शूद्र जाति की स्त्री के लिए समय का प्रतिबन्ध नहीं था, विशेषकर

जब वह निःसन्तान हो अधिक से अधिक वह एक वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकती थी। किन्तु यदि ऐसा पति जीवित हो या उसके जीवित होने का ज्ञान पत्नी को हो तो प्रतीक्षा का समय द्विगुणित हो जाता है।

इस प्रकार स्मृतिकाल में स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण यदि अधिक उदार नहीं तो कठोर भी नहीं था। समाज में उनको पर्याप्त समादर प्राप्त था। प्रायः मनु के ऊपर यह दोष लगाया जाता है कि उन्होंने समाज में स्त्रियों की स्थिति को अन्त्यन्त हेय बना दिया है कि यह कथन में है क्योंकि मनु का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति इतना उदार है कि उन्होंने तो यहां तक व्यवस्था की है कि जिस समाज में स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ सारे कार्य व्यापार असफल हो जाते ।[36] उनका यह भी कथन है कि जिस कुल में स्त्रियों का समादर नहीं होता है, उन कुल को वह श्राप दे देती है, जिसके फलस्वरूप वे परिवार मरे हुये के समान सब प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जिस परिवार में स्त्री से पति प्रसन्न रहता है और पति से स्त्री प्रसन्न रहती है वहाँ सदैव कल्याण ही कल्याण होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

मनुस्मृति 5.147

मनुस्मृति 5.148

मनुस्मृति 5.149

मनुस्मृति 5.150

मनुस्मृति 3.152

याज्ञवल्क्यस्मृति : आचाराध्याये 77

अथर्ववेद 1.34.5

अथर्ववेद 2.36.2

अथर्ववेद 2.36.3

ब्रहस्पति 24.4

मनुस्मृति 3.49

मनुस्मृति 9.11

याज्ञवल्क्यस्मृति : 1.82

मनुस्मृति 9.85-86

याज्ञवल्क्यस्मृति

विष्णुधर्मोत्तरपुराण

कव्यायनस्मृति

मनुस्मृति 3.60

याज्ञवल्क्यस्मृति :

मनुस्मृति 9.77

नारदस्मृतिः

विष्णुस्मृति :

नारदस्मृतिः

बौधायनस्मृतिः

हरीत्स्मृति

याज्ञवल्क्य 1.70

नारदस्मृति

मनुस्मृति 5.147

ब्रहस्पतिस्मृति 149

मनुस्मृति 5.150

विष्णुस्मृति :

मनुस्मृति	*9.13*
मनुस्मृति	
ब्रहस्पतिस्मृति	
मनुस्मृति	*8.157-165*